रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 653] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 21, 2012/अग्रहायण 30, 1934

No. 653] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 21, 2012/AGRAHAYANA 30, 1934

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 30 मार्च, 2012

विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) (संशोधन) विनियमावली, 2012

सा.का.नि. 914(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (जे) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक, एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 8/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**

   (i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) (संशोधन) विनियमावली, 2012 कहलाएगी ।

   (ii) ये इन विनियमों में विनिर्दिष्ट तारीखों से लागू होंगे ।

2. **विनियम 2 में संशोधन**

विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 8/2000-आरबी), (इसके आगे 'मूल विनियमावली' के रूप में उल्लिखित) में, विनियम 2 में उप-विनियम (iii) के बाद, निम्नलिखित नया उप-विनियम जोड़ा जाएगा और ऐसा समझा जाएगा कि वह 29 अप्रैल, 2011 से जोड़ा गया है, अर्थात् :

"(iv) अविकल्पी भुगतान प्रतिबद्धता का अर्थ अभिरक्षक (कस्टोडियन) बैंक द्वारा 'खरीद' संबंधी भुगतान से उत्पन्न अदायगी प्रतिबद्धता चुकाने के लिए अपने ग्राहकों की ओर से किसी स्टॉक एक्सचेंज/स्टॉक एक्सचेंज के समाशोधन निगम के पक्ष में जारी अविकल्पी पुष्टि है" ।

3. **विनियम 4 में संशोधन**

विनियम 4 में, उप-विनियम (3) के बाद निम्नलिखित नया उप-विनियम जोड़ा जाएगा और वह 29 अप्रैल, 2011 से जोड़ दिया गया है, ऐसा समझा जाएगा, अर्थात् :—

"(4) प्राधिकृत व्यापारी अभिरक्षक (कस्टोडियन) बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर जारी, निर्देशों के अधीन, समय-समय पर यथासंशोधित, 3 मई, 2000 की विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) के जरिये अधिसूचित पोर्टफोलियो निवेश योजना (PIS) के तहत शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद के लिए अपने पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक ग्राहकों की ओर से स्टाक एक्सचेंजों/स्टाक एक्सचेंजों के समाशोधन निगमों के पक्ष में अविकल्पी भुगतान प्रतिबद्धता (IPCs) जारी कर सकता है ।"

स्पष्टीकरण : (i) यदि अविकल्पी भुगतान प्रतिबद्धता (IPCs), जो किसी वित्तीय गारंटी के स्वरूप की है, ग्राहक से अपेक्षित निधियां प्राप्त करने से पहले जारी की जाती है, तो उसकी गणना कस्टोडियन बैंक के पूंजी बाजार एक्सपोज़र के परिकलन के लिए की जाएगी ।

(ii) अविकल्पी भुगतान प्रतिबद्धता (IPCs) जारी करने का कार्य पूंजी बाज़ार के प्रति बैंकों के एक्सपोज़रों के संबंध में समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विनियमों के अनुसार होना चाहिए तथा तत्संबंध में बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक (डीबीओडी) द्वारा, समय-समय पर जारी, अनुदेशों का पालन भी किया जाना चाहिए ।

[सं. फेमा. 227/2012-आर बी]

मीना हेमचंद्र, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी : (i) मूल विनियमावली, सरकारी राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में 5 मई, 2000 की सं. सा.का.नि. 391(अ) के जरिये प्रकाशित की गयी थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी :

सं सा.का.नि. 575(अ) तारीख 19-08-2002

सं सा.का.नि. 745(अ) तारीख 16-11-2004

सं सा.का.नि. 61(अ) तारीख 9-02-2005

सं सा.का.नि. 196(अ) तारीख 14-03-2007

सं सा.का.नि. 300(अ) तारीख 01-05-2009

सं सा.का.नि. 298(अ) तारीख 01-05-2009

सं सा.का.नि. 634(अ) तारीख 27-07-2010

(ii) यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी व्यक्ति पर इन विनियमों के पूर्वव्यापी प्रभाव से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 30th March, 2012

Foreign Exchange Management (Guarantees) (Amendment) Regulations, 2012

G.S.R. 914(E).—In exercise of the powers conferred by clause (j) of sub-section (3) of Section 6, and sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Guarantees) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 8/2000-RB dated May 3, 2000), namely:—

1. Short Title and Commencement

(a) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Guarantees) (Amendment) Regulations, 2012.

(b) They shall come into force from the dates specified in these regulations.

2. Amendment of Regulation 2

In the Foreign Exchange Management (Guarantees) Regulations, 2000 (Notification No.FEMA 8/2000-RB dated May 3, 2000), (hereinafter referred to as 'the Principal Regulations'), after sub-regulation (iii) in Regulation 2, the following new sub-regulation shall be added and it shall be deemed to have been added with effect from 29th day of April 2011, namely :—

"(iv) 'Irrevocable Payment Commitment (IPC)' means irrevocable confirmation issued by the custodian bank in favour of a stock exchange/clearing corporation of a stock exchange on behalf of its customers, to meet the payment obligation arising out of a 'buy' transaction".

3. Amendment of Regulation 4

In Regulation 4, after sub-regulation (3), the following new sub-regulation shall be added and it shall be deemed to have been added with effect from April 29, 2011, namely:—

"(4) An authorised dealer (custodian bank), subject to the directions issued by the Reserve Bank, from time to time, may issue Irrevocable Payment Commitments (IPCs) in favour of the Stock Exchanges/Clearing Corporations of the Stock Exchanges, on behalf of their registered FII clients for purchase of shares and convertible debentures under the portfolio investment scheme (PIS) notified vide Schedule 2 to Foreign Exchange Management (Transfer or Issue or Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA.20/2000- RB) dated May 3, 2000, as amended from time to time."

Explanation : (i) If the IPC, which is in the nature of a financial guarantee, is issued prior to receipt of the required funds from the customer, it will be reckoned for the computation of Capital Market Exposure of the custodian bank.

(ii) Issue of IPCs should be in accordance with the Reserve Bank regulations on banks' exposure to the capital market issued by the Reserve Bank from time to time and also comply with the instructions issued by Department of Banking Operations and Development, Reserve Bank of India (DBOD), from time to time.

[No. FEMA. 227/2012-RB]

MEENA HEMCHANDRA, Chief General Manager-in-Charge

Foot Note : (i) The Principal regulations were published in the Official Gazette *vide* No. G.S.R. 391(E), dated May 5, 2000 in Part II, Section 3, Sub-Section (i) and subsequently amended *vide* :

No. G.S.R. 575 (E), dated 19-8-2002

No. G.S.R. 745 (E), dated 16-11-2004

No. G.S.R. 61 (E), dated 9-2-2005

No. G.S.R. 196 (E), dated 14-3-2007

No. G.S.R. 300 (E), dated 1-5-2009

No. G.S.R. 298 (E), dated 1-5-2009

No. G.S.R. 634(E), dated 27-7-2010

(ii) It is clarified that no person will be adversely affected as a result of retrospective effect being given to these regulations.

अधिसूचना

मुम्बई, 25 सितम्बर, 2012

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2012

सा.का.नि. 915(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 9 के खंड (बी) और धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 10/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**

(i) यह विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2012 कहलाएंगे ।

(ii) ये विनियम 15 सितम्बर, 2011 से लागू माने जाएंगे @

2. **विनियमों में संशोधन :**

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता) विनियमावली, 2000 में (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 10/2000-आरबी), (आगे 'मूल विनियमावली' के रूप में उल्लिखित), विनियम 5 में उप-विनियम (2) के बाद, निम्नलिखित नया उप-विनियम (3) जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"(3) निवासी व्यक्तियों को अपने निवासी घनिष्ठ रिश्तेदार (रिश्तेदारों) को 'पूर्व अथवा उत्तरजीवी' के आधार पर अपने निवासी विदेशी मुद्रा खाते के संयुक्त खाता धारक के रूप में शामिल करने की अनुमति दी जाती है । तथापि, ऐसा निवासी भारतीय घनिष्ठ रिश्तेदार संयुक्त खाता धारक निवासी खाता धारक के जीवन काल के दौरान खाते का परिचालन करने के लिए पात्र नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण : इस उप-विनियम के प्रयोजन के लिए, 'घनिष्ठ रिश्तेदार' का अर्थ कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में यथापरिभाषित 'रिश्तेदार' है ।"

3. **अनुसूची के संशोधन :**

मूल विनियमावली की अनुसूची में, पैराग्राफ 4 में उप-पैराग्राफ (ii) के बाद, एक नया उप-पैराग्राफ (iii) जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"(iii) निवासी व्यक्तियों को अपने निवासी घनिष्ठ रिश्तेदार (रिश्तेदारों) को 'पूर्व अथवा उत्तरजीवी' आधार पर अपने विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते के संयुक्त धारक के रूप में शामिल करने की अनुमति दी जाती है । तथापि, ऐसा निवासी भारतीय घनिष्ठ रिश्तेदार निवासी खाता धारक के जीवन काल के दौरान खाते का परिचालन करने के लिए पात्र नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण : इस उप-विनियम के प्रयोजन के लिए, 'घनिष्ठ रिश्तेदार' का अर्थ कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में यथापरिभाषित 'रिश्तेदार' है ।"

[सं. फेमा. 239/2012-आर बी]

रूद्र नारायण कर, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी : 1. @यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी व्यक्ति पर इन विनियमों के पूर्वव्यापी प्रभाव से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

2. मूल विनियमावली, 5 मई, 2000 को सं. सा.का.नि. 393(अ) के जरिये सरकारी राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित की गयी थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी थीं :

(क) सं सा.का.नि. 675(अ) तारीख 25 अगस्त, 2000

(ख) सं सा.का.नि. 89(अ) तारीख 12 फरवरी, 2001

(ग) सं सा.का.नि. 103(अ) तारीख 19 फरवरी, 2001

(घ) सं सा.का.नि. 200(अ) तारीख 21 मार्च, 2001

(ङ) सं सा.का.नि. 5(अ) तारीख 2 जनवरी, 2002

(च) सं सा.का.नि. 261(अ) तारीख 9 अप्रेल, 2002

(छ) सं सा.का.नि. 465(अ) तारीख 2 जुलाई, 2002

(ज) सं सा.का.नि. 474(अ) तारीख 8 जुलाई, 2002

(झ) सं सा.का.नि. 755(अ) तारीख 8 नवम्बर, 2002

(ञ) सं सा.का.नि. 756(अ) तारीख 8 नवम्बर, 2002

(ट) सं सा.का.नि. 224(अ) तारीख 18 मार्च, 2003

(ठ) सं सा.का.नि. 398(अ) तारीख 14 मई, 2003

(ड) सं सा.का.नि. 452(अ) तारीख 3 जून, 2003

(ढ) सं सा.का.नि. 453(अ) तारीख 4 जून, 2003

(ण) सं सा.का.नि. 11(अ) तारीख 7 जनवरी, 2004

(त) सं सा.का.नि. 13(अ) तारीख 7 जनवरी, 2004

(थ) सं सा.का.नि. 209(अ) तारीख 23 मार्च, 2004

(द) सं सा.का.नि. 455(अ) तारीख 30 जून, 2007

(ध) सं सा.का.नि. 778(अ) तारीख 19 दिसम्बर, 2007

(न) सं सा.का.नि. 92(अ) तारीख 15 फरवरी, 2008

(प) सं सा.का.नि. 838(अ) तारीख 23 नवम्बर, 2009

(फ) सं सा.का.नि. 340(अ) तारीख 21 अप्रैल, 2010

(ब) ....के सं. सा.का.नि........................

(भ) ....के सं. सा.का.नि........................

NOTIFICATION

Mumbai, the 25th September, 2012

Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) (Second Amendment) Regulations, 2012

G.S.R. 915(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Section 9 and clause (e) of sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 10/2000-RB, dated May 3, 2000), namely :—

1. Short title and Commencement

(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) (Second Amendment) Regulations, 2012.

(ii) They shall be deemed to have come into effect from the 15th day of September 2011@.

2. Amendment of the Regulations

In the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 10/2000-RB, dated May 3, 2000) (hereinafter referred to as 'the Principal Regulations'),

In Regulation 5 after sub-regulation (2), the following new sub-regulation (3) shall be added, namely :—

"(3) Resident individuals are permitted to include resident close relative(s) as a joint holder(s) in their Resident Foreign Currency account on 'former or survivor' basis. However, such resident Indian close relative joint account holder shall not be eligible to operate the account during the life time of the resident account holder.

Explanation : For the purpose of this sub-regulation, 'close relative' means 'relative' as defined in Section 6 of the Companies Act, 1956."

3. Amendment to the Schedule

In the Schedule to the Principal Regulations, in paragraph 4 after sub-paragraph (ii), a new sub-paragraph (iii) shall be added, namely :—

"(iii) Resident individuals are permitted to include resident close relative(s) as a join holder(s) in their EEFC account on 'former or survivor' basis. However, such resident Indian close relative(s), shall not be eligible to operate the account during the life time of the resident account holder.

Explanation : For the purpose of this sub-regulation, 'close relative' means relative as defined in Section 6 of the Companies Act, 1956."

[No. FEMA/239/2012-RB]

RUDRA NARAYAN KAR, Chief General Manager

Footnote : 1. @ It is clarified that no person will be adversely affected as a result of retrospective effect being given to these regulations.

2. The Principal Regulations were published in the Official Gazette *vide* No. G.S.R. 393 (E) dated May 5, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended *vide*

(a) No. G.S.R. 675(E) dated August 25, 2000,
(b) No. G.S.R. 89(E) dated February 12, 2001,
(c) No. G.S.R. 103(E) dated February 19, 2001,
(d) No. G.S.R. 200(E) dated March 21, 2001,
(e) No. G.S.R. 5(E) dated January 2, 2002,
(f) No. G.S.R. 261 (E) dated April 9, 2002,
(g) No. G.S.R. 465(E) dated July 2, 2002,
(h) No. G.S.R. 474(E) dated July 8,2002,
(i) No. G.S.R. 755(E) dated November 8, 2002,
(j) No. G.S.R. 756(E) dated November 8, 2002,
(k) No. G.S.R. 224(E) dated March 18, 2003,
(l) No. G.S.R. 398(E) dated May 14, 2003,
(m) No. G.S.R. 452(E) dated June 3, 2003,
(n) No. G.S.R. 453(E) dated June 4, 2003,
(o) No. G.S.R. 11(E) dated January 7, 2004,
(p) No. G.S.R. 13(E) dated January 7, 2004,
(q) No. G.S.R. 209(E) dated March 23, 2004,
(r) No. G.S.R. 455(E) dated June 30, 2007,
(s) No. G.S.R. 778(E) dated December 19, 2007,
(t) No. G.S.R. 92(E) dated February 15, 2008,
(u) No. G.S.R. 838(E) dated November 23, 2009,
(v) No. G.S.R. 340(E) dated April 21, 2010
(w) No. G.S.R. --------------------dated---------------
(x) No. G.S.R. --------------------dated---------------

अधिसूचना

मुम्बई, 6 दिसम्बर, 2012

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा उधार देना) (चतुर्थ संशोधन) विनियमावली, 2012

सा.का.नि. 916(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (डी) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक, एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा उधार देना) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 3/2000-आरबी) (अब इसके आगे 'मूल विनियमावली' के रूप में उल्लिखित) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

4731 GI/12-2

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**

(ए) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा उधार देना) (चतुर्थ संशोधन) विनियमावली, 2012 कहलायेंगे ।

(बी) ये विनियम सितम्बर 2011 के 26वें दिन से लागू हुए समझे जाएंगे @

2. **विनियमों में संशोधन :**

मूल विनियमावली में, अनुसूची II में से, पैराग्राफ 5 हटा दिया जाएगा ।

[सं. फेमा. 250/2012-आर बी]

रश्मि फौजदार, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी : (i). @यह स्पष्ट किया जाता है कि इन विनियमों के पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी भी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(ii). मूल विनियमावली, 5 मई, 2000 को सं. सा.का.नि. 386(अ) के जरिये सरकारी राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गयी थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी :

i. सं सा.का.नि. 674(अ) तारीख 25 अगस्त, 2000
ii. सं सा.का.नि. 476(अ) तारीख 8 जुलाई, 2002
iii. सं सा.का.नि. 854(अ) तारीख 31 दिसम्बर, 2002
iv. सं सा.का.नि. 531(अ) तारीख 9 जुलाई, 2003
v. सं सा.का.नि. 533(अ) तारीख 9 जुलाई, 2003
vi. सं सा.का.नि. 208(अ) तारीख 23 मार्च, 2004
vii. सं सा.का.नि. 825(अ) तारीख 22 दिसम्बर, 2004
viii. सं सा.का.नि. 60(अ) तारीख 9 फरवरी, 2005
ix. सं सा.का.नि. 739(अ) तारीख 22 दिसम्बर, 2005
x. सं सा.का.नि. 663(अ) तारीख 16 अक्तूबर, 2007
xi. सं सा.का.नि. 61(अ) तारीख 30 जनवरी, 2009
xii. सं सा.का.नि. 547(अ) तारीख 27 जुलाई, 2009
xiii. सं सा.का.नि. 836(अ) तारीख 23 नवम्बर, 2009
xiv. ....सं सा.का.नि. ....
xv. ....सं सा.का.नि. ....

NOTIFICATION

Mumbai, the 6th December, 2012

Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) (Fourth Amendment) Regulations, 2012

G.S.R. 916(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (3) of Section 6 and sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) Regulations, 2000 (Notification No.FEMA 3/2000-RB, dated May 3, 2000) (hereinafter referred to as the Principal Regulations), namely:—

1. **Short title and commencement :**

(a) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) (Fourth Amendment) Regulations, 2012.

(b) They shall be deemed to have come into force with effect from the 26th day of September, 2011.

2. **Amendment of the Regulations:**

In the Principal Regulations, in Schedule II, paragraph 5 shall be omitted.

[No. FEMA 250/2012-RB]

RASHMI FAUZDAR, Chief General Manager

Foot Note : (i) @ It is clarified that no person will be adversely affected as a result of retrospective effect being given to these regulations.

(ii) The Principal Regulations were published in the Official Gazette *vide* No. G.S.R 386(E), dated May 5, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended *vide* :

i. No. G.S.R. 674(E) dated August 25, 2000
ii. No. G.S.R. 476(E) dated July 8, 2002
iii. No. G.S.R. 854(E) dated December 31, 2002
iv. No. G.S.R. 531(E) dated July 9, 2003
v. No. G.S.R. 533(E) dated July 9, 2003
vi. No. G.S.R. 208(E) dated March 23, 2004
vii. No. G.S.R. 825(E) dated December 22, 2004
viii. No. G.S.R. 60(E) dated February 9, 2005
ix. No. G.S.R. 739(E) dated December 22, 2005
x. No. G.S.R. 663(E) dated October 16, 2007
xi. No. G.S.R. 61(E) dated January 30, 2009
xii. No. G.S.R. 547(E) dated July 27, 2009
xiii. No. G.S.R. 836(E) dated November 23, 2009
xiv. No. G.S.R. 610(E) dated August 03, 2012
xv. No. G.S.R. 832(E) dated November 17, 2012

अधिसूचना

मुम्बई, 6 दिसम्बर, 2012

विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) (तृतीय संशोधन) विनियमावली, 2012

सा.का.नि. 917(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (जे) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक, एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 8/2000-आरबी) अब इसके आगे 'मूल विनियमावली' के रूप में उल्लिखित में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**

(ए) यह विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) (तृतीय संशोधन) विनियमावली, 2012 कहलायेंगे ।

(बी) ये विनियम सितम्बर, 2011 के 26वें दिन से लागू हुए समझे जाएंगे ।@

2. **विनियमों में संशोधन**

मूल विनियमावली में, विनियम 3 के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा अर्थात्,

"3ए. समुद्रपारीय गारंटी प्राप्त करने पर प्रतिबंध

कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के तहत पंजीकृत कोई कंपनी, रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना, अंतर्राष्ट्रीय बैंकों, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं अथवा संयुक्त उद्यम साझेदारों द्वारा गारंटी के रूप में ऋणों में वृद्धि (credit enhansment) प्राप्त करते हुए घरेलू रुपया मूल्यवर्गीकृत सुनियोजित दायित्व (structured obligations) नहीं लेगी ।

बशर्ते हालांकि, केवल इन्फ्रास्ट्रक्चर (इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर परिभाषित इन्फ्रास्ट्रक्चर) के विकास में लगी भारत में निवासी कोई कंपनी और रिज़र्व बैंक द्वारा, समय समय पर यथा वर्गीकृत, इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियां, रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना, बांडों और डिबेंचरों जैसे पूँजी बाजार लिखतों के निर्गम के जरिये ऐसी कंपनियों द्वारा लिए गए घरेलू कर्जों के लिए भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति से गारंटी के रूप में ऋणों में वृद्धि (credit enhansment), इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा, समय समय पर, यथा विनिर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति के अधीन प्राप्त कर सकती हैं ।"

[सं. फेमा. 251/2012-आर बी]

रश्मि फौज़दार, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी : (i) @यह स्पष्ट किया जाता है कि इन विनियमों के पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी भी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(ii) मूल विनियमावली 5 मई 2000 को सं. सा.का.नि. 391(ई) के जरिये सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गयी थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी :

(i) सं सा.का.नि. 575(अ) तारीख 19-08-2002
(ii) सं सा.का.नि. 745(अ) तारीख 16-11-2004
(iii) सं सा.का.नि. 61(अ) तारीख 9-02-2005
(iv) सं सा.का.नि. 196(अ) तारीख 14-03-2007
(v) सं सा.का.नि. 300(अ) तारीख 01-05-2009
(vi) सं सा.का.नि. 298(अ) तारीख 01-05-2009
(vii) सं सा.का.नि. 634(अ) तारीख 27-07-2010
(viii) --------- के सा.का.नि. सं. -------
(ix) --------- के सा.का.नि. सं. -------

NOTIFICATION

Mumbai, the 6th Decmber, 2012

Foreign Exchange Management (Guarantees) (Third Amendment) Regulations, 2012

G.S.R. 917(E).—In exercise of the powers conferred by clause (j) of sub-section (3) of Section 6 and sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Guarantees) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 8/ 2000-RB dated May 3, 2000) (hereinafter referred to as 'the Principal Regulations'), namely :—

1. **Short Title and Commencement**

(a) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Guarantees) (Third Amendment) Regulations, 2012.

(b) They shall be deemed to have come into force with effect from the 26th day of September, 2011.@

2. **Amendment of the Regulations**

In the Principal Regulations, after Regulation 3, the following shall be inserted namely,

"3A. Restriction on obtaining overseas guarantee

No corporate registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) shall avail domestic rupee denominated structured obligations by obtaining credit enhancement in the form of guarantee by international banks, international financial institutions or joint venture partners, except with the prior approval of the Reserve Bank.

Provided howsoever that, a company resident in India engaged exclusively in development of infrastructure (infrastructure defined by the Reserve Bank from time to time in this regard) and infrastructure financial companies, as categorized by Reserve Bank from time to time, may obtain, without the prior approval of the Reserve Bank, credit enhancement in the form of guarantee from a person resident outside India for the domestic debts raised by such companies through issue of capital market instrument like bonds and debentures subject to satisfying the terms and conditions as may be stipulated by the Reserve Bank, from time to time, in this regard."

[No. FEMA. 251/2012-RB]

RASHMI FAUZDAR, Chief General Manager

Foot Note : (i) @It is clarified that no person will be adversely affected as a result of retrospective effect being given to these regulations.

(ii) The Principal Regulations were published in the Official Gazette *vide* No. G.S.R. 391(E) dated May 5, 2000 in Part II, Section 3, Sub-Section (i) and subsequently amended *vide* :

(i) No. G.S.R. 575 (E) dated 19-8-2002
(ii) No. G.S.R. 745 (E) dated 16-11-2004
(iii) No. G.S.R. 61 (E) dated 9-2-2005
(iv) No. G.S.R. 196 (E) dated 14-3-2007
(v) No. G.S.R. 300 (E) dated 01-05-2009
(vi) No. G.S.R. 298 (E) dated 01-05-2009
(vii) No. G.S.R. 634(E) dated 27-07-2010
(viii) No. G.S.R. No. ----------dated------------
(ix) No. G.S.R. No. ----------dated------------

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.